रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5—जनवरी 11, 2008 (पौष 15, 1929)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5—JANUARY 11, 2008 (PAUSA 15, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400005, दिनांक 22 नवंबर 2007

सं. गैबैंपवि. 197/मुमप्र(पीके)-2007--भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सार्वजनिक जमा स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ञक, 45-ट, 45-ठ एवं 45 ढग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी(एसपीटी)-98 में अंतर्विष्ट निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होंगे अर्थात--

(i) पैराग्राफ 3 का उप पैराग्राफ (1) हटा दिया जाएगा।

(ii) पैराग्राफ 3 का उप पैराग्राफ (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा :

''इन निदेशों में अंतर्विष्ट उपबंध म्युचुअल बेनीफिट फायनांसियल कंपनी एवं म्युचुअल बेनीफिट कंपनी पर लागू नहीं होंगे;

बशर्ते म्युचुअल बेनीफिट कंपनी का आवेदनपत्र भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त न कर दिया गया हो।''

पी. कृष्णमूर्ति

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

दिनांक 14 दिसम्बर 2007

सं. गैबैंपवि. 198/मुमप्र(पीके)-2007--

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ञक, 45-ट, 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 55/डीजी(ओ)-87 में अंतर्विष्ट निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होंगे :

पैराग्राफ 5A के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात;

"जनता की जमाराशियों की विलंब से अदायगी करने पर ब्याज का भुगतान

5AA. जहाँ जमाकर्ता द्वारा दावा करने पर कोई अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी परिपक्वता पर देय ब्याज सहित जमाराशि की अदायगी में विफल होती है, वहाँ कंपनी निम्नवत ब्याज अदा करेगी।

i. यदि कंपनी जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से न्यूनतम 2 माह पूर्व परिपक्वता की सूचना जमाकर्ता को दे देती है और उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हों जैसे जमाकर्ता से प्राप्त पावती हो किन्तु जमाकर्ता परिपक्वता पर दावा प्रस्तुत करने में विफल हो तो कंपनी दावे की तारीख से अदायगी की तारीख तक जमाराशि पर देय ब्याज दर से ब्याज सहित परिपक्वता की राशि अदा करेगी।

ii. यदि कंपनी जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से 2 माह पूर्व परिपक्वता की सूचना (जमाकर्ता को) नहीं देती है तो जब जमाकर्ता दावा करेगा तब कंपनी परिपक्वता की तारीख से अदायगी की तारीख तक जमाराशि पर देय ब्याज दर से ब्याज सहित परिपक्वता की राशि अदा करेगी।"

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

बैंक ऑफ इंडिया

मुंबई, दिनांक 13 दिसंबर 2007

सं. टीआरवाइ/आइएनवी/जेएसर्सी/4354 दिनांकित 13/12/2007 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) के अनुच्छेद के 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक बोर्ड, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** - (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियम, 2007 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय -राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. **विनियम 2 और 4 का संशोधन -** बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 में

(i) विनियम 2, में खण्ड (पी) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित होगा -

"(पी) इसमें प्रयुक्त कथन और अभिव्यक्ति तथा जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या योजना, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिनियम के अनुच्छेद 3 के उप खण्ड (2बी) की धारा(सी) के उपबन्ध के अंतर्गत इस पर प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गये दिशानिर्देशों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ है जो क्रमशः उन्हें अधिनियम या योजना या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, जैसा भी मामला हो"

(ii) विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात -

"4क (1) सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमानी आबंटन अथवा प्राईवेट प्लेसमैंट के द्वारा बैंक इक्विटी या अधिमानी शेयर जारी कर बैंक पूँजी की उगाही कर सकता है।

(2) इस प्रकार की पूँजी उगाही से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों या अधिनियमों, दिशानिर्देशें के अनुरूप पूँजी उगाही के लिए बैंक एक प्रस्ताव का निरुपण करेगा।

(3) सार्वजनिक निर्गम उथवा अधिमानी आबंटन या अधिमानी शेयरों का निजी स्थान नियोजन द्वारा पूँजी उगाही के लिए, उन अधिमानी शेयरों (चाहे बेमियादी या अप्रतिदेय अथवा प्रतिदेय) के प्रत्येक वर्ग तथा बैंक द्वारा जारी किए गए इस अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग जो निबंधन और शर्तों के अध्यधीन शेयरों के प्रत्येक वर्ग जो निबंधन और शर्तों के अध्यधीन है उनका निर्धारण अधिनियम के भाग 3 के उप भाग (2ब) के खंड (ग) के प्रावधान में सन्निहित प्रावधानों के अनुसारी में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ढाँचागत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(4) बैंक अपना प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा तथा प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखेगा।

(5) इसके बाद अंतिम प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा ऐसे नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन केन्द्र सरकार स्वीकृति देगी जैसा वह ठीक समझे।

(6) केन्द्र सरकार की स्वीकृति के अनुरूप बैंक पूँजी उगाही करेगा".

जयंत चिने
महाप्रबंधक

फुट नोट : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था देखें दिनांक 5 जून 1999 की अधिसूचना सं.23 (भाग3, अनुभाग 4) तथा परवर्ती संशोधन भारत के राजपत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना एचओ/एसडी/एसकेबी/1592 प्रकाशित हुई।

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

नं0 13 – सी0ए0 (परीक्षा)/सी.पी.टी./फ./2008:– चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार, दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा रविवार, 3 फरवरी, 2008 को सुबह 9 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक दो सत्रों में निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.):

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के "रेगूलेशन 25 डी (3) व पाठ्य-विवरण जो कि दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनरल के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 291-293 व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विद्यार्थी पत्रिका के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 12-13 में छपा है के अनुसार)

सत्र-I (प्रातः कालीन सत्र)	प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड क – लेखांकन के मूल तत्व खंड ख – वाणिज्यिक विधियां
सत्र-II (दोपहर का सत्र)	दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड ग – सामान्य अर्थशास्त्र खंड घ – परिमाणात्मक अभिक्षमता

परीक्षा केन्द्र :-

1.	आगरा	29.	दिल्ली/नई दिल्ली	57.	कोल्लम	85.	रोहतक
2.	अहमदाबाद	30.	धनबाद	58.	कोटा	86.	राउरकेला
3.	अहमदनगर	31.	दुर्ग	59.	कोट्टायम	87.	सहारनपुर
4.	अजमेर	32.	ईरनाकुलम	60.	कोझिखोड़	88.	सेलम
5.	अकोला	33.	ईरोड़	61.	कुंभाकोनम	89.	सांगली
6.	अलापुजा	34.	फरीदाबाद	62.	लखनऊ	90.	शिमला
7.	इलाहाबाद	35.	गाजियाबाद	63.	लुधियाना	91.	सिलीगुढ़ी
8.	अलवर	36.	गोवा	64.	मदुरई	92.	सोलापुर
9.	अम्बाला	37.	गुन्टूर	65	मंगलौर	93.	सोनीपत
10.	अमरावती	38.	गुड़गांव	66	मथुरा	94.	सूरत
11.	अमृतसर	39.	गोहाटी	67.	मेरठ	95.	थाने
12.	आनन्द	40.	ग्वालियर	68.	मुरादाबाद	96.	तिरूवन्तपुरम
13.	आसनसोल	41.	हिसार	69.	मुम्बई	97.	थीसूर
14.	औरंगाबाद	42.	हुबली	70	मुजफ्फरनगर	98.	तिरूचीरापल्ली
15.	बंगलोर	43.	हैदराबाद	71.	मैसूर	99.	त्रिपुर
16.	बरेली	44.	इंदौर	72.	नागपुर	100.	टूटीकोरन
17.	भटिण्डा	45.	जबलपुर	73.	नासिक	101.	उदयपुर

18.	बेलगांव	46.	जयपुर	74.	नोएडा	102.	उडुपी
19.	बेल्लारी	47.	जालंधर	75.	पालघाट	103.	उज्जैन
20.	भीलवाड़ा	48.	जलगांव	76.	पानीपत	104.	वदोदरा
21.	भोपाल	49.	जम्मू	77.	पटियाला	105.	वाराणसी
22.	भुवनेश्वर	50.	जामनगर	78.	पटना	106.	वल्लौर
23.	बीकानेर	51.	जमशेदपुर	79.	पिम्परी–चिंचवाड़	107.	विजयवाड़ा
24.	चंडीगढ़	52.	जोधपुर	80.	पांडेचेरी	108.	विशाखापटनम
25.	चेन्नई	53.	कानपुर	81.	पूना	109.	यमुनानगर
26.	कोयम्बटूर	54.	करनाल	82.	रायपुर		
27.	कटक	55.	कोल्हापुर	83.	राजकोट		
28.	देहरादून	56.	कोलकाता	84.	रांची		

विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्रः– 1. आबुधाबी 2. दुबई 3. काठमांडू

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र, जो कि सूचना विवरणिका में संलग्न है 5 दिसम्बर 2007 से उपलब्ध होंगे, जो कि दि इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, आईसीएआई भवन, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 400/– रूपये (रू0 300/– परीक्षा शुल्क व रू0 100/– आवेदन पत्र व सूचना विवरणिका हेतु) प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । सूचना विवरणिका जिसमें सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) का आवेदन पत्र भी है में परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है, अतः आवेदन पत्र जमा करने के समय कोई अन्य शुल्क की आवश्यकता नहीं हैं । सूचना विवरणिका जिसमें आवेदन पत्र भी संलग्न है इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचो के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नगद भुगतान करने पर 5 दिसम्बर, 2007 से प्राप्त किये जा सकते हैं । पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र 26 दिसम्बर 2007 तक स्वीकार किये जायेगें व 26 दिसम्बर 2007 के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वयं आकर भी इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली कार्यालय व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 26 दिसम्बर 2007 तक जमा कराया जा सकता है । इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है ।

प्रश्नपत्र पत्रिका की भाषाः–

सामान्य प्रवीणता परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी । उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम की प्रश्न पत्र पत्रिका द्वारा भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी सूचना विवरणिका में उपलब्ध है ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी0पी0टी0) केवल उन्ही परीक्षार्थियों के लिये जो पहले से इस परीक्षा के लिये दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया में 1 दिसम्बर, 2007 या इससे पहले रजिस्टर्ड हैं व योग्यता संबंधी आवश्यकतायें को पूर्ण करते हैं ।

जी. सोमाशेखर
वरिष्ठ संयुक्त सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

संख्या : यू.16/53/2003 चि.2 (पंजाब) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, चण्डीगढ़ (पंजाब) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

	डॉक्टर का नाम	**अवधि**	**केन्द्र का नाम**
1.	डॉ. सतपाल सिद्धू	13.11.2007 से 12.11.2008	फगवाडा
2.	डॉ. बद्री दास	13.11.2007 से 12.11.2008	मलेर कोटला

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-110068, दिनांक 13 दिसम्बर 2007

सं. आईजी/प्रशा(जी)/एसटी.4 व 12/2003/1063--

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 1985 (1985 की सं0 50) की धारा 25(2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 26.02.2007 को आयोजित अपनी 89वीं बैठक में विद्यापीठों के निदेशकों की स्थिति से संबंधित इग्नू अधिनियम के परिनियम 4 के खंड (1)(ii)(क) में संशोधन/परिवर्धन किया है। इसे कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 12.11.2007 के पत्र सं. एफ.5-44/2007-डीएल द्वारा प्राप्त हुआ है।

परिनियम 4 - निदेशक

संशोधन के बाद परिनियम 4 के अंतर्गत संशोधित खंड (1)(ii)(क) को इस प्रकार पढ़ा जाए :

खंड (1)(ii)(क): *कुलपति की संस्तुति पर प्रबंध बोर्ड द्वारा विद्यापीठ के प्रोफेसरों में से विद्यापीठ के निदेशक की नियुक्ति की जाएगी और विद्यापीठ में प्रोफेसर उपलब्ध/पात्र न होने पर वरीयता क्रम में वरिष्ठतम अध्यापक को, विद्यापीठ में नए निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक विद्यापीठ का प्रभार दिया जाएगा।*

के. लक्ष्मण
कुलसचिव

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 005, the 22nd November 2007

No. DNBS. 197/CGM (PK)-2007—

The Reserve Bank of India, having satisfied that, in the public interest, and to enable the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 , in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K, 45L and 45NC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No.DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect as follows, namely -

(i) Sub-paragraph (1) of paragraph 3, shall be deleted.

(ii) Sub-paragraph (2) of paragraph 3, shall be substituted by the following paragraph :

"The provisions contained in these directions shall not apply to a Mutual Benefit Financial Company or a Mutual Benefit Company;

Provided that the application of Mutual Benefit Company is not rejected by Government of India under the provisions of the Companies Act, 1956(Act 1 of 1956)."

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

3-3993I/07

The 14th December 2007

No. DNBS. 198/CGM (PK)-2007—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the financial system of the country to its advantage it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the directions contained in Notification No.DFC.55/DG(O)-87 dated May 15, 1987 shall stand amended with immediate effect as follows:

After paragraph 5A, the following paragraph shall be inserted, namely;

"**Payment of interest for delayed repayment of public deposits**

5AA. Where an RNBC fails to repay the deposit along with interest on maturity on the claim made by the depositor, it shall be liable to pay interest in the following manner:

i. if the company has intimated about the maturity to the depositor at least two months before the date of maturity and has sufficient evidence for the same viz. acknowledgement from the depositor, but the depositor fails to submit his claim on maturity, then the company will be required to pay interest at the rate as applicable to the deposit from the date of claim till the date of repayment along with the amount due on maturity.

ii. if the company has not intimated about the maturity to the depositor two months before the date of maturity, then, as and when the depositor makes a claim, the company will be required to pay interest at the rate as applicable to the deposit from the date of maturity till the date of repayment along with the amount due on maturity."

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

BANK OF INDIA

Mumbai, the 13th December 2007

No. TRY/INV/JSC/ 4354 dated 13th December, 2007. In exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition And Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government propose to make the following amendments to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2003, namely :-

1. **Short title and commencement-** (1) These Regulations may be called the Bank of India (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette.

2. **Amendments of Regulations 2 and 4.** – In the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2003.

(i) in regulation 2, for clause(p), the following clause shall be substituted, namely -

"(p)The words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Schemes, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, and the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of sub-section (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be";

(ii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely -

"4A (1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of Equity Shares or Preference Shares.

(2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.

(3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of Preference Shares, the extent of issue of each class of such Preference Shares (whether perpetual or irredeemable or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class of such Preference Shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the provisions contained in the proviso to clause © of sub-section (2B) of section 3 of the Act.

(4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.

(5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Government for its sanction and the Central Government may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.

(6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Government."

J. S. CHINEY
General Manager

Foot Note:- The Principal Regulation was published in the Gazette of India vide Notification No.23 (Part III, Section 4) dated 5th June, 1999 and subsequent amendments published in the Gazette of India vide Notification NO HO/SD/SKB/1592 dated 24th October, 2003.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 4th December 2007

No.13-CA(EXAM)/CPT/Feb/2008: - In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Common Proficiency Test will be held on **Sunday, the 3rd February, 2008** in two sessions as below, at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

COMMON PROFICIENCY TEST:

[As per provisions of Regulation 25 D (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and the syllabus as published in the pages 291-293 of the journal the Chartered Accountant August 2006 issue and pages 12-13 of Chartered Accountants Students' Newsletter August 2006 issue.]

First Session (i.e. Morning Session)	**9.00 AM to 11.00 AM (IST)** Section - A Fundamentals of Accounting Section - B Mercantile Laws
Second Session (i.e. Afternoon Session)	**12.30 PM to 2.30 PM (IST)** Section - C General Economics Section - D Quantitative Aptitude

EXAMINATION CENTRES:

1	AGRA	29	DELHI/NEW DELHI	57	KOLLAM	85	ROHTAK
2	AHMEDABAD	30	DHANBAD	58	KOTA	86	ROURKELA
3	AHMEDNAGAR	31	DURG	59	KOTTAYAM	87	SAHARANPUR
4	AJMER	32	ERNAKULAM	60	KOZHIKODE	88	SALEM
5	AKOLA	33	ERODE	61	KUMBAKONAM	89	SANGLI
6	ALAPPUZHA	34	FARIDABAD	62	LUCKNOW	90	SHIMLA
7	ALLAHABAD	35	GHAZIABAD	63	LUDHIANA	91	SILIGURI
8	ALWAR	36	GOA	64	MADURAI	92	SOLAPUR
9	AMBALA	37	GUNTUR	65	MANGALORE	93	SONEPAT
10	AMRAVATI	38	GURGAON	66	MATHURA	94	SURAT
11	AMRITSAR	39	GUWAHATI	67	MEERUT	95	THANE
12	ANAND	40	GWALIOR	68	MORADABAD	96	THIRUVANANTHAPURAM
13	ASANSOL	41	HISAR	69	MUMBAI	97	THRISSUR
14	AURANGABAD	42	HUBLI	70	MUZAFFARNAGAR	98	TIRUCHIRAPALLI
15	BANGALORE	43	HYDERABAD	71	MYSORE	99	TIRUPUR
16	BAREILLY	44	INDORE	72	NAGPUR	100	TUTICORIN
17	BATHINDA	45	JABALPUR	73	NASHIK	101	UDAIPUR
18	BELGAUM	46	JAIPUR	74	NOIDA	102	UDUPI
19	BELLARY	47	JALANDHAR	75	PALGHAT	103	UJJAIN
20	BHILWARA	48	JALGAON	76	PANIPAT	104	VADODARA
21	BHOPAL	49	JAMMU	77	PATIALA	105	VARANASI
22	BHUBANESWAR	50	JAMNAGAR	78	PATNA	106	VELLORE
23	BIKANER	51	JAMSHEDPUR	79	PIMPRI-CHINCHWAD	107	VIJAYAWADA
24	CHANDIGARH	52	JODHPUR	80	PONDICHERRY	108	VISAKHAPATNAM
25	CHENNAI	53	KANPUR	81	PUNE	109	YAMUNANAGAR
26	COIMBATORE	54	KARNAL	82	RAIPUR		
27	CUTTACK	55	KOLHAPUR	83	RAJKOT		
28	DEHRADUN	56	KOLKATA	84	RANCHI		

Overseas Centres :- (1) ABU DHABI (2) DUBAI (3) KATHMANDU

4-39991/07

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to Common Proficiency Test is required to be made on the relevant prescribed form as contained in the Information Brochure, which may be obtained from the Sr. Joint Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs. 400/-(Rs.300/- towards examination fees and Rs. 100/- towards cost of application form and Information brochure) per application form. Since the cost of Information brochure containing Common Proficiency Test application form includes the examination fee no separate fee is required to be remitted at the time of submitting the filled in application form. The Information brochure containing Common Proficiency Test application form will also be available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from **5th December, 2007**.

Common Proficiency Test application forms duly filled in may be sent so as to reach the Sr. Joint Secretary (Examinations) at New Delhi not later than **26th December, 2007**. Applications received after **26th December, 2007** shall not be entertained under any circumstances. Applications duly filled in will be received by hand delivery at the offices of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto **26th December, 2007**. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. **It may be noted that there is no provision for acceptance of application forms after 26th December, 2007 with late fee.**

QUESTION PAPER BOOKLET LANGUAGE:

Common Proficiency Test will be an objective type multiple choice based examination. Candidates will be allowed to opt for Hindi medium Question Paper Booklet for answering the questions. Detailed information will be found given in the Information brochure.

Common Proficiency Test (CPT) is open only to those students who are already registered with the Institute of Chartered Accountants of India for the said course on or before 1st December 2007 and fulfill the requisite eligibility conditions.

G. SOMASEKHAR
Sr. Joint Secy. (Exams.)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 6th December 2007

No.U-16/53/2003/Med.II/(Punjab): - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Chandigarh (Punjab) for the purpose of medical examination of the Insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	Period	Name of Centre
1. Dr. Satpal Sidhu	13.11.2007 to 12.11.2008	Phagwara
2. Dr. Badri Dass	-do-	Malerkotla

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi-110068, the 13th December 2007

No. IG/Admn(G)/St. 4 & 12/2003/1063—

In exercise of the powers vested in it, under the provisions of section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No.50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 89th meeting held on 26.2.2007 had made amendments/additions to Clause (1)(ii)(a) of Statute 4 of the IGNOU Act concerning the position of Directors of the Schools. This has the approval of the President of India in her capacity as Visitor, as conveyed under the Ministry of Human Resource Development letter No.F.5-44/2007-DL dated 12.11.2007.

Statute 4 – *The Directors*

After addition, the amended Clause (1)(ii)(a) under the Statute 4 reads as under:

Clause (1)(ii)(a): *'A Director of a School shall be appointed from among the Professors of the School by the Board of Management on the recommendations of the Vice-Chancellor and in case there is no Professor available/eligible in the School, the senior most teacher in the hierarchy should be given the charge of the School till the new Director takes over the position in the School.'*

K. LAXMAN
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008